राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक: एक.1(2)गृह/सम्पर्क/सचिव/प्रको./2013
जयपुर, दिनांक: 20/4/2015

आदेश

राजस्थान जनसम्पर्क सेवा नियम, 1966 के नियम—29 के अन्तर्गत सूचना एवं जन सम्पर्क सेवा के वरिष्ठ छायाकार/केमरामेन तरंग के अधिकारियों की प्रवित्तजनल वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2015 की स्थिति में निम्न प्रकार जारी की जाती है:—

वरिष्ठ छायाकार/केमरामेन

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>नाम अधिकारी</th>
<th>जन्मतिथि</th>
<th>पदोन्नति वर्ष</th>
<th>वि.वि.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>श्री अशोक गुप्ता सरदार (अ.जा.) (दरिख छायाकार)</td>
<td>09-03-1965</td>
<td>2012-13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>श्री ज्योति लाल जीतागर (अ.जा.) (केमरामेन)</td>
<td>13-09-1969</td>
<td>2012-13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>श्री आलोक नारायण (केमरामेन)</td>
<td>19-09-1971</td>
<td>2012-13</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>श्री जागराम दागोगी (अ.जा.) (केमरामेन)</td>
<td>03-09-1967</td>
<td>2012-13</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपरोक्त वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में यदि किसी अधिकारी को कोई आपत्ति हो, तो वे अपना प्रतिबंधन 15 दिन में आवश्यक रूप से में जा सके की व्यवस्था करें, उसके पश्चात वरिष्ठता सूची फाइनल कर दी जायेगी।

---

निर्देशक— संयुक्त शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि— निर्देशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:—
1. निगम सचिव, सचिव, मा. गुरुवरमंगल (मंगल, सूजन)
2. निगम सचिव, शासन सचिव, सूजन।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन/सूजन)
4. उप निदेशक (प्रशासन) सूजन।
5. संयुक्त अधिकारी।
6. एन्जरीस—नस्क—प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर।
7. गार्ड फाइल।

संयुक्त शासन सचिव